

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110 001.

No. ECI/PN/21/2010

Dated : 15th June, 2010

PRESS NOTE

Shri P.C. Thomas, M.P. disqualified for committing corrupt practice during election

The High Court of Kerala in EP 1 of 2006 had set aside the election of Shri P.C. Thomas to 14th Lok Sabha from 12 – Muvattupuzha PC of Kerala under Section 123 (3) and 123 (5) of the R.P. Act, 1951. Shri Thomas challenged the said order by filing the Civil Appeal No. 5003 of 2006 before the Supreme Court. The Supreme Court upheld the decision of the High Court of Kerala and dismissed the Civil Appeal filed by Shri P.C. Thomas. In this connection, the President of India had sought opinion of the Commission in terms of Section 8A of the R.P. Act, 1951 on the question of disqualification of Shri P.C. Thomas. The Commission gave a hearing to Shri P.C. Thomas in the case. After hearing, the Commission tendered its opinion to the President of India vide its letter dated 9th April, 2010 that Shri P.C. Thomas should be disqualified under sub-section (1) of the section 8A of R.P. Act, 1951 for a period of three years from the date of the order of the President of India. Subsequently, the President of India passed an order dated 19th May, 2010 on the disqualification of Shri P.C. Thomas for a period of three years from the date of the order as published in the official gazette.

Relevant part of the Presidential Order is appended below.

By Order,

(Tapas Kumar)
Principal Secretary

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

7 May, 2010

ORDER

Whereas, the Hon'ble High Court of Kerala in its judgement dated the 31st October, 2006 on Election Petition No. 1 of 2004, *inter alia*, declared the election of the first respondent, i.e. Shri P.C. Thomas, the returned candidate, to the House of the People from No. 12-Muvattupuzha Parliamentary Constituency in the election held on the 10th May, 2004 to be void and further declared the petitioner, i.e. Shri P.M. Ismail elected in the place of the first respondent i.e. Shri P. C. Thomas from the same constituency;

And whereas on a civil appeal No. 5033 of 2006 filed by the Appellant, Shri P.C. Thomas, the Supreme Court, in paragraph 29 of its Judgement dated the 4th September, 2009 has, *inter alia*, held as under:-

“...On consideration of the evidence in its totality, adduced by the election petitioner and the appellant, we agree with the High Court that the election petitioner has adduced cogent, satisfactory and reliable evidence to establish the charge against the appellant under section 123(3) of the Act.”; and the Hon'ble Supreme Court in paragraph 31 of its judgement, *inter alia*, further observed as under:-

“...we see no merit in this appeal. The same is dismissed accordingly but in the circumstances of the case, we make no order as to costs in this appeal.”;

Contd.....2/-

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

-3-

And whereas the Election Commission tendered its opinion (Opinion of the Election Commission annexed as Annexure to this Order) under sub-section (3) of section 8A of the Representation of the People Act, 1951 that Shri P.C. Thomas should be disqualified under sub-section (1) of the said section 8A for a period of three years from the date of the Order of the President;

Now, therefore, I, Pratibha Devisingh Patil, President of India, having regard to the aforesaid opinion of the Election Commission and in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 8A of the Representation of the People Act, 1951, do hereby determine that Shri P.C. Thomas stand disqualified for a period of three years from the date of this Order as published in the Official Gazette.

Sd/-
PRESIDENT OF INDIA

91

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

19 मई, 2010

आदेश

माननीय केरल उच्च न्यायालय ने 2004 में निर्वाचन याचिका सं. 1 के संबंध में तारीख 31 अक्टूबर, 2006 के अपने निर्णय में, अन्य बातों के साथ, 10 मई, 2004 को हुए निर्वाचन में सं. 12-मुवात्तुपुझा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी, प्रथम प्रत्यर्थी अर्थात् श्री पी. सी. थामस के निर्वाचन को शून्य घोषित किया था और आगे उसी निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम प्रत्यर्थी अर्थात् श्री पी. सी. थामस के स्थान पर याची अर्थात् श्री पी. एम. इस्माइल को निर्वाचित घोषित किया था;

और अपीलार्थी श्री पी. सी. थामस द्वारा फाइल की गई 2006 की सिविल अपील संख्या 5033 में उच्चतम न्यायालय ने तारीख 4 सितंबर, 2009 के अपने निर्णय के पैरा 29 में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :

"..... निर्वाचन याची और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर समग्रतापूर्वक विचार करने पर, हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि निर्वाचन याची ने अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप स्थापित करने के लिए अकाट्य, संतोषजनक और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया है।"; और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 31 में, अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार यह आंश संप्रेक्षण किया है कि :-

"..... हमें इस अपील में कोई दम दिखाई नहीं देता है। उसे तदनुसार खारिज किया जाता है किंतु मामले की परिस्थितियों में, हम इस अपील में उपगत खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं करते हैं।"

और राष्ट्रपति ने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन 27 नवंबर, 2009 को इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी कि क्या श्री पी. सी. थामस (पूर्व लोक सभा सदस्य) को उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन निर्वाहित किया जाना चाहिए और यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए ;

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

-2-

और निर्देश, निर्वाचन अपील (2006 को सिविल अपील सं. 5033 - पी. सी. थामस बनाम पी. एम. इस्माइल और अन्य) में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4 सितंबर, 2009 के उस निर्णय के अनुसरण में उद्भूत होता है, जिसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2004 की निर्वाचन याचिका सं. 1 (पी. एम. इस्माइल बनाम पी. सी. थामस और अन्य) में केरल उच्च न्यायालय के तारीख 31 अक्टूबर, 2006 के निर्णय को मान्य ठहराया था, जिसमें 14वीं लोक सभा के लिए श्री पी. सी. थामस के निर्वाचन को उक्त अधिनियम की धारा 123 की उपधारा (3) और उपधारा (5) के अधीन भ्रष्ट आचरण के आधारों पर, चुनौती दी गई थी ;

और जैसा उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्य ठहराया गया है, केरल उच्च न्यायालय के सुस्पष्ट निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए कि श्री पी. सी. थामस ने उक्त अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन भ्रष्ट आचरण किया है और श्री पी. सी. थामस द्वारा किए गए निवेदन पर भी, स्थिति की समग्रता पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग की यह सुविचारित राय है कि न्याय के उद्देश्यों और साम्या की उचित रूप से पूर्ति तभी हो पाएगी, यदि श्री पी. सी. थामस को राष्ट्रपति के आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहित कर दिया जाए ;

और निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन अपनी यह राय (इस आदेश के उपाबंध के रूप में उपावद्ध निर्वाचन आयोग की राय) दी है कि श्री पी. सी. थामस को उक्त धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रपति आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहित किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, मैं, प्रतिभा देवीसिंह पाटील, भारत की राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निर्वाचन आयोग की पूर्वोक्त राय को ध्यान में रखते हुए एतद्वारा यह विनिश्चय करती हूँ कि श्री पी. सी. थामस को राजपत्र में यथा प्रकाशित इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहित किया जाता है ।

६.
भारत की राष्ट्रपति